राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 380

20 जुलाई, 2016 को उत्तर के लिए

चीन से आयातित इस्पात उत्पादों पर प्रतिपाटन शुल्क

380. **श्री सी. एम. रमेश:**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चीन से आयातित इस्पात उत्पादों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया है;

(ख) यदि हां, तो शुल्कों का ब्यौरा क्या है और वे मदें कौन-कौन सी हैं, जिन पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया है;

(ग) क्या ऐसे शुल्क और मद जिन पर शुल्क लगाये गये हैं, वे देश के इस्पात सेक्टर की मांग के अनुरूप हैं; और

(घ) केवल 'अनंतिम' शुल्क ही क्यों लगाए गए हैं और वह भी केवल छः महीने के लिए?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(क) और (ख): जी हॉ। सरकार ने अपने दिनांक 26.03.2013, 05.06.2015, 11.12.2015 और 17.05.2016 की अधिसूचनाओं के तहत् चीन गणराज्य से विभिन्न इस्पात उत्पादों के आयातों पर एंटी डम्पिंग शुल्क लगाया है। ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	**उत्पाद**	**वर्तमान स्थिति**
1.	स्टील व्हील	दिनांक 26.3.2013 को 512-613 अमेरिकी डॉलर प्रति एमटी की दर से निश्चित शुल्क लगाया गया। शुल्क दिनांक 25.03.2018 तक लागू है।
2.	304 ग्रेड वाले स्टैनलेस स्टील के हॉट रोल्ड चपटे उत्पाद	दिनांक 05.06.2015 को 180-316 अमेरिकी डॉलर प्रति एमटी की दर से निश्चित शुल्क लगाया गया। शुल्क दिनांक 04.06.2020 तक लागू है।
3.	स्टैनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड चपटे उत्पाद	दिनांक 11.12.2015 को उतराई तक के मूल्य पर 4.58 से 57.39 प्रतिशत तक निश्चित शुल्क लगाया गया। शुल्क दिनांक 10.12.2020 तक लागू है।
4.	सीमलेस ट्यूब और पाइप	961 से 1610.67 अमेरिकी डॉलर प्रति एमटी की दर से दिनांक 17.05.2016 को अधिकतम छः माह की अवधि के लिए अनंतिम शुल्क लगाया गया।

(स्रोत: डीजीएडी)

(ग): एंटी-डम्पिंग शुल्क कुल मिलाकर घरेलू उद्योग को राहत देने के लिए लगाया जाता है। एंटी डम्पिंग रूल्स के अनुबंध-।। के अनुसार नामित प्राधिकारी डम्पिंग किये गये आयातों की मात्रा, डम्पिंग किये गये आयातों का घरेलू बाजार की कीमतों पर प्रभाव और इन आयातों का घरेलू उद्योग पर परिणामी प्रभाव की जॉच करता है। एंटी डम्पिंग जॉच करते समय पैरामीटरों यथा संबंधित समान की उत्पादन क्षमता, क्षमता उपयोग, मांग, आयातों की मात्रा, मजदूरी, कीमतों इत्यादि पर विचार किया जाता है।

(घ): घरेलू उद्योग को तुरन्त राहत पहॅुचाने के लिए जॉच प्रक्रिया पूरी करने की शर्त पर अनंतिम शुल्क लगाया जाता है। कस्टम्स टैरिफ (आईडेंटिफिकेशन, असेस्मेंट एण्ड कलेक्शन ऑफ एंटी डम्पिंग ड्यूटी ऑन डम्प्ड आर्टिकल एण्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ इंजरी) रूल्स, 1995 के नियम 13 के अनुसार अधिकतम छः माह की अवधि के लिए अनंतिम एंटी-डम्पिंग शुल्क लगाया जाता है।

(स्रोत: डीजीएडी)

***